भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **1537**
दिनांक 1 जुलाई, 2019

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पी॰एम॰यू॰वाई॰)

1537. श्री एंटो एन्टोनीः
श्री मनोज कोटकः
श्री रितेश पाण्डेयः
श्री अजय कुमारः
श्री वष्णु दयाल रामः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार के पास रसोई गैस कनेक्शन वाले घरों की कुल संख्या से संबं धत कोई सांख्यिकीय आंकड़ा है और प्रधनमंत्री उज्ज्वला योजना (पी॰एम॰यू॰वाई॰) के आरंभ से इसके अंतर्गत कतने गरीबी रेखा से नीचे (बी॰पी॰एल॰)/अनुसू चत जातियों/अनुसू चत जनजातियों के परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान कए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है क पी॰एम॰यू॰वाई॰ के लाभार्थी रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों/नि ध् के अभाव के कारण अपने कनेक्शनों को फर से नहीं भरा रहे हैं और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का रसोई गैस सलेंडरों का मूल्य घटाने/सब्सिडी प्रदान करने सहित इस पर क्या प्रति क्रया है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभा र्थयों के अनुसार औसत रि फ लंग का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कतने प्रथम, द् वतीय, तृतीय आदि रि फल्स जारी कए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है क वश्व स्वास्थ्य संगठन ने पी॰एम॰यू॰वाई॰ को देश में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लए एक निर्णायक हस्तक्षेप के तौर पर स्वीकार कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा रसोई गैस के उपभोक्ताओं को सुरक्षा उपायों के बारे में जागरुक करने के लए कदम उठाया गया है/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत जारी कए गए एलपीजी कनेक्शनों सहित जारी कए गए एलपीजी कनेक्शनों के राज्य/यूटी-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): ओएमसीज ने बताया है क लगभग 86% पीएमयूवाई लाभा र्थयों ने, जो कम से कम एक वर्ष पुराने हैं, दूसरा री फल लया है। ओएमसीज ने बताया है क पीएमयूवाई लाभा र्थयों की औसत प्रति व्यक्ति खपत लगभग 4.87 स लंडर है। पीएमयूवाई लाभार्थी परिवार द्वारा एलपीजी का उपयोग कई कारकों पर निर्भर करता है जिनमें खान पान की आदतें, खाना पकाने की आदतें, एलपीजी की आसानी से उपलब्धता, एलपीजी का मूल्य, ईंधन लकड़ी, उपले की मुफ्त में उपलब्धता आदि शा मल हैं। पीएमयूवाई लाभा र्थयों द्वारा दीर्घका लक आधार पर एलपीजी को अपनाए जाने और उसका उपयोग कए जाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ओएमसीज निम्न ल खत उपाय करती रही हैं:-

(i) अदला-बदली की सु वधा देना अर्थात जरुरत के अनुसार 14.2 क0ग्रा0 स लंडर के बदले में 5 क0ग्रा0 का छोटा स लंडर उपलब्ध कराना।

(ii) एलपीजी के दीर्घका लक उपयोग के लाभों और इसके सुर क्षत उपयोग के संबंध में लाभा र्थयों को श क्षत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन करना।

(iii) एलपीजी के उपयोग से होने वाले लाभों के संबंध में जागरुकता फैलाने के लए आ डयो वजुअल मी डया अ भयान शुरू करना।

(iv) जो लाभार्थी दूसरी री फल लेने के लए नहीं आए हैं उन तक पहुंचने के लए ल क्षत एसएमएस अ भयान शुरू करना।

(v) सार्वजनिक स्थलों पर बैनरों, स्टैंडीज और हो र्डंग्स के जरिए प्रदर्शन करना।

(घ): वश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 मई, 2018 की अपनी प्रेस वज्ञप्ति में यह उल्लेख कया है क "कई देश पार्टिक्यूलेट मैटर से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने और उसे कम करने के उपाय कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, मात्र 2 वर्षों में, भारत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लगभग 37 म लयन महिलाओं को स्वच्छ घरेलू ऊर्जा के उपयोग को अपनाने में मदद करने के उद्देश्य से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं"।

(ड.): ओएमसीज ने अपने एलपीजी डस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी कनेक्शनों को संस्था पत करने से संबं धत सभी सुरक्षा मानकों से संतुष्ट होने और उन्हें पूरा करने के बाद ही एलपीजी

कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, ओएमसीज ने बताया है क पीएमयूवाई योजना के तहत सुरक्षा को सुनिश्चित करने और संभाव्य एलपीजी ग्राहकों को श क्षत करने के लए निम्न ल खत उपाय अपनाए जाते हैं:-

(i) एलपीजी कनेक्शन वतरण मेलों के दौरान सुरक्षा क्लीनिकों के माध्यम पीएमयूवाई लाभा र्थयों को एलपीजी के उपयोग के सुरक्षा पहलुओं के बारे में उ चत शक्षा दी जाती है और सुरक्षा के संबंध में फल्म का प्रदर्शन और स्क्रिनिंग करके एलपीजी के उपयोग के बारे में बताया जाता है।

(ii) पीएमयूवाई योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय, लाभा र्थयों को सुरक्षा निर्देश पुस्तिका दी जाती है।

(iii) सभी एलपीजी डस्ट्रीब्यूटरों को पीएमयूवाई लाभा र्थयों के परिसरों में कनेक्शन लगाने और यह सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं क हॉट प्लेट सुर क्षत स्थल पर रखा गया हो तथा ग्राहक को एलपीजी के उपयोग के सुर क्षत तरीके के बारे में सलाह दी जाए।

(iv) ओएमसीज के अ धकारी निय मत रूप से ग्राहक से संपर्क करते हैं और डस्ट्रीब्यूटर शप का निरीक्षण करते हैं ता क उपर्युक्त कदमों की निगरानी की जा सके। निरीक्षण के दौरान, जब कभी भी यह पाया जाता है क डस्ट्रीब्यूटर दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार के चूककर्ता डस्ट्रीब्यूटरों के वरुद्ध एमडीजी के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(v) सरकार ने एलपीजी के उपयोग संबंधी सुरक्षा मानकों पर जोर देते हुए प्रंट और इलैक्ट्रॉनिक मी डया के माध्यम से सघन 'सुरक्षा अ भयान' शुरू कया है।

(vi) एलपीजी के सुर क्षत और दीर्घका लक उपयोग के बारे में एलपीजी उपभोक्ताओं को श क्षत करने के लए एलपीजी पंचायतों का आयोजन भी कया जा रहा है।

अनुलग्नक

"प्रधनमंत्री उज्ज्वला योजना (पी॰एम॰यू॰वाई॰)" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी और अन्य सांसदों द्वारा दिनांक 01.07.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकत प्रश्न सं 1537 के भाग (क) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

क्रम सं.	राज्य/यूटी	कुल एलपीजी कनेक्शन	पीएमयूवाई के तहत जारी कए गए कनेक्शन
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	97,630	7,890
2	आंध्र प्रदेश	13,347,256	348,093
3	अरुणाचल प्रदेश	250,978	39,775
4	असम	6,414,899	2,879,858
5	बिहार	16,456,328	7,946,704
6	चंडीगढ़	274,171	88
7	छत्तीसगढ़	4,789,330	2,691,008
8	दादरा और नगर हवेली	86,578	14,217
9	दमन और दीव	60,606	425
10	दिल्ली	4,830,518	73,962
11	गोवा	475,724	1,074
12	गुजरात	9,943,278	2,564,401
13	हरियाणा	6,606,766	686,804
14	हिमाचल प्रदेश	1,729,871	114,468
15	जम्मू और कश्मीर	2,998,577	1,088,709
16	झारखंड	5,173,506	2,911,289
17	कर्नाटक	15,305,641	2,845,549
18	केरल	8,571,998	215,589
19	लक्षद्वीप	7,828	290
20	मध्य प्रदेश	14,037,461	6,489,145
21	महाराष्ट्र	26,476,357	4,098,374
22	म णपुर	509,858	133,234
23	मेघालय	301,669	142,439
24	मजोरम	286,790	26,237
25	नगालैंड	249,094	49,914
26	ओ डशा	7,987,637	4,265,117
27	पुद्दुचेरी	366,148	13,427
28	पंजाब	8,270,626	1,210,652
29	राजस्थान	15,438,500	5,793,407
30	सक्किम	137,796	7,893
31	त मलनाडु	20,602,452	3,156,360
32	तेलंगाना	10,510,381	946,509
33	त्रिपुरा	699,672	240,848
34	उत्तर प्रदेश	37,613,375	13,148,904
35	उत्तराखंड	2,512,305	357,696
36	पश्चिम बंगाल	20,907,112	8,083,765

	योग	264,328,716	72,594,114

*पीएमयूवाई के तहत जारी कए गए कनेक्शनों सहित कुल एलपीजी कनेक्शन